



**संम्पादकीय**

**नजर जो देखे कलम करे उसे बाया**

**विजय कुमार पाटाशर**  
**संम्पादक**  
मोबाइल : 94143 02519  
E-mail : awazrajasthan2004@gmail.com

### प्रदेश के अग्रणी कस्बों में शुभारणा

### गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है 'फेकड़ी'

अजमेर जिले का केकड़ी नगर गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। केकड़ी प्राचीन काल में कनकावती नगरी कहलाता था। भौतिक सुख सुधाराओं के लिहाज से केकड़ी प्रदेश के अग्रणी कस्बों में शुभारणा होता है। परन्तु जिस तेजी से यहां अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ, उस तेजी से रेजियर के साथन उपलब्ध नहीं हुए। सरकारी स्तर पर बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए। कई बार सर्वे के बाद भी रेजियर लाइन की शुभारणा नहीं हुई। शिक्षा क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। लोकेन इलाके में उच्च शिक्षण संस्थानों का आज भी अभाव है। लोगों का मानना है कि प्रगति का स्तर मापने के मापदण्ड बदल चुके हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार के साथ ही आमजन को भी आगे आकर काम करना होगा। तभी विकसित केकड़ी की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

बसंत पंचमी के दिन हुई स्थापना:- अजमेर-मेरवाड़ा के इतिहास और प्राचीन साहित्य में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार केकड़ी नगर सपादलक्ष भूमि में शामिल था। केकड़ी क्षेत्र पूर्व में घने जंगलों में आच्छादित था। इसके चारों ओर बड़ाक जाटों और चौहान गुर्जरों के आठ छोटे-छोटे गाँव बसे हुए थे, जो खेड़ा, पापड़ा, कालाभाटा, पोकी नाड़ी, खेमनाथ, पीपलोद व सात उंडली के नाम से जाने जाते थे। यहां के निवासियों ने लूटमार व असुरास से दुःखी होकर विक्रम संवत् 940 में बसंत पंचमी के दिन भूसू और चावंडा माता की स्थापना कर सम्पन्न रूप से हनुष्ठान कर दिया।

सतीत की रक्षा के लिए न्यौष्ठान किए प्राण:- चौहान गुर्जरों की संख्या अधिक होने के कारण मुखिया की पुत्री कनकावती के नाम पर इसके नाम कनकावती नगरी रखा गया। विक्रम संवत् 944 में सुल शासक सुवृत्तगीन ने धार से टोडा लौटे समय कनकावती नगरी के तालाब के निकट अपना डेरा डाला। इस दौरान उसने चौहान गुर्जरों के मुखिया की पुत्री कनकावती को देखा और उसके रूप पर मोहित होकर उसका हण करने का प्रयास किया। कनकावती ने अपने सतीत की रक्षा के लिए खुद को अनिन्य में समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी बड़ाक जाटों और चौहान गुर्जरों ने सुवृत्तगीन के लश्कर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में बड़ाक जाटों और चौहान गुर्जरों की विजय हुई और सुवृत्तगीन अपने सदरों सहित जान बचा कर भाग गया। इसकी पुष्टि चारभुजा मंदिर के पीछे स्थित कनकावती सती के स्मारक से की जाए सकती है।

देवनगरी रागिणी की जाती थी प्राचीनिकता:- चौहान गुर्जरों के जाने के बदल यहां केवल बड़ाक जाट रह गए। बाद में यहां नागेला के नागा जाट भी रहने लगे। विक्रम संवत् 1422 में नागा व बड़ाक जाटों में झागड़ा हुआ और नागा जाटों ने बड़ाक जाटों के गुरु का पापड़ा नामक स्थान पर किसी बहाने से बुलाकर सिर काट दिया। इससे भयभीत होकर बड़ाक जाट इस स्थान को छोड़ कर भाग छूटे। इसके बाद नागा जाटों के मुखिया मांगा या नाथा अपने परिवार के साथ निचली हथाई में आ बसे। इसके साथ ही दाहिमा ब्राह्मण, खूटेडा, विजयवर्गीय, होबानी-नायक, पचेरी-बलाई, खटीक, टाक, हरिजन आदि अन्य जातियों भी बसने लगी। इनकी अमल-दखल व नम्बरदारी में ग्राम का प्रबंध भली-भाली चलने लगा। विक्रम संवत् 1770 में पीयासगंग के गढ़ौड़ी वंश के साथी भिन्नायक केरुग्राहाण व एक यति भी आए। यहां देवनगरी व व्यवहारिक गणित (पहाड़े) को ही मुख्यता दी जाती थी। इसके पास के बाद अंग्रेजों का शासन प्रशासन शुरू होने के प्रभाव मिलते हैं।

विजय कुमार पाटाशर  
संम्पादक

## जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अधिकारी में साधारण सभा एवं जिला आयोजन समिति बैठक का किया गया आयोजन

रहे कार्यों की समीक्षा, निजी आय से किए गए एवं कराये जा रहे कार्यों का अनुमोदन सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. बैठक में गत वर्ष महानरेगा योजनान्तर्गत आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। विगत प्लान को उपरान्त आगामी महानरेगा योजनान्तर्गत आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।

2. बैठक में माननीय सदस्य गण द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विकास अधिकारी अजमेर



योजनाओं में लक्ष्यानुरूप प्राप्ति 60 से अनुमोदन कर भुगतान निजी प्रतिशत से भी कम रही। इस पर आय से करने व आदेश जारी करने अध्यक्ष महोदया ने सम्बन्धित

कार्यकारी निकायों को इस वित्तीय वर्ष में अधिकारी जिला परिषद अजमेर करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण, प्रधानमण्डल एवं डॉ. कार्य योजना में 2,82,330.09 भारती दीक्षित जिला कलक्टर को रेड रप्पे के 69,260 कार्यों का अजमेर, ललित गोयल मुख्य अनुमोदन व नरेगा वार्षिक कार्यकारी अधिकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को दिये।

बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण, प्रधानमण्डल एवं डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर को रेड रप्पे के 69,260 कार्यों का अजमेर, ललित गोयल मुख्य अनुमोदन व नरेगा वार्षिक कार्यकारी अधिकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को दिये।

4. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

5. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

6. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

7. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

8. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

9. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

10. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

11. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

12. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

13. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

14. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

15. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

16. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।

17. बैठक में जिला परिषद वर्ष 2024-25 की वार्षिक सदस्यगण द्वारा अधिकारियों को कारण बतायों ने निवेदन किया जिस पर विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर को अनुपस्थित कर आदेश पर तलाक रोक लगाने के आदेश विवेद प्रदान किये।



## राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

### उपभोक्ता कर सकते हैं शिकायत-दिनेश चतुर्वेदी

(आवाज़ राजस्थान की, कार्यालय संबंधित)

अजमेर (ARK News)।

उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशनी के लिए उपभोक्ता न्यायलय में अपनी शिकायत कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता के सुनेजाने का अधिकार, निवारण उपभोक्ता अधिनियम के लिए हर वर्ष उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अन्तर्गत धारा 35,71,72 व दिवस 15 मार्च को मनाया जाता का अधिकार, 2019 38(8) के तहत ज्यादातर है। 1962 में पूर्व अपेक्षिती अधिनियम में पाँच अधिकार नए मामलों में सुनवाई की जा रही राष्ट्रपति जाने एक कैनेडी द्वारा पेश किए गए हैं। इस सम्बन्ध में है। राज्य उपभोक्ता आयोग में दिए गए भाषण से प्रेरित होकर शिकायत कहीं भी दर्ज करवा औन लाइन सुनवाई का 15 मार्च 1983 को नामांकित करते हैं। मुआवजे का प्रावधान भी चल रहा है।

को दिए अधिकारों से सम्पूर्ण अधिकार, उपभोक्ताओं की उन्होंने बताया कि जिला विश्व में 15 मार्च को विश्व सुरक्षा, वीडियो कॉफ्रेंसिंग का उपभोक्ता विवाद प्रतितोष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता उपयोग कर सुनवाई, यह जाने आयोग, अजमेर में फरवरी है। 24 दिसंबर 1986 को भारत का अधिकार की शिकायत क्यों 2024 तक कुल 19,640 के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण खारिज हुई। जिला आयोग में प्रकरण दर्ज हुए एवं 17,385 अधिनियम को स्वीकारा था। इसी प्रकार 24 दिसंबर को निःशुल्क 5 लाख से 10 लाख वर्तमान में फरवरी 2024 तक तक 200 रुपए, 10 लाख से कुल 2,255 प्रकरण लालित है।

20 लाख तक 400 रुपए, 20 फरवरी, 2023 में कुल 321 लाख से 50 लाख तक एक प्रकरण दर्ज हुए तथा 230 हजार रुपए निर्धारित है। राज्य प्रकरण निस्तारित किये गए। वर्ष आयोग में शिकायत शुल्क 2023 में जिला आयोग की रुपए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कुल बैठक 143 हुई। निस्तारण तक एक हजार, एक करोड़ से 2 का औसत दो तीन प्रकरण का कारण आज विश्व में भी उपभोक्ता खरीदारी कर सकता है। इसलिए अधिनियम 1986 में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई जो भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 6 करोड़ तक 4000 रुपए, 6 करोड़ से 8 करोड़ तक 5000 रुपए, 8 करोड़ से 10 करोड़ तक 6000 रुपए, 10 करोड़ से 3000 रुपए, 4 करोड़ से सशक्तिकरण करने के लिए शुल्क 2 करोड़ से 4 करोड़ तक उपभोक्ता आयोगों को शुल्क 2 करोड़ तक 4000 रुपए, इनफास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक उपयोग के लिए एक गैर-सरकारी राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में ग्राम विद्यालय में विकास कार्यों का पंचायतों में उपभोक्ता क्लब का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा गठन कर उन्हें सशक्त कर कि राज्य सरकार स्कूलों में दूध में अल्प जानकारी, अधिकार शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार, सूचना का उपभोक्ता हेल्प लाइन 1800-अधिकार, चुनने का अधिकार, 11-4000 एवं 1915 है।

उन्होंने बताया कि अधिक के लिए 7500 रुपए उपभोक्ता शोषण का कारण रखा गया है। सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, उन्होंने बताया कि सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता की उपभोक्ता आयोग की हेतु की, अपने अधिकारों के बारे लाइन 18001806030 पर भी अपने अधिकारों के बारे लाइन 1800-अधिकार, चुनने का अधिकार, 11-4000 एवं 1915 है।

फूड लाइसेंस शिविर में 60 व्यापारियों ने किया आवेदन

अजमेर (ARK News)। राज्य सरकार के अधिनियम शुद्ध आहार-मिलावट पर बार के तहत फूड सेफ्टी की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत हटुड़ी में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक पूर्व लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। सीएमआरओ डॉ. ज्योतस्ना रंगा ने बताया कि शिविर में 60 फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त हुए। फूड सेफ्टी जागरूकता शिविर में विशेषकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य पदार्थों के रखरखाव, भंडारण, विक्रय आदि एवं फूड सेफ्टी संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। फास्ट फूड विक्रेताओं एवं आमजन को पोस्टर, बैनर प्रदर्शनी के जरिए बाजार, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। मोबाइल फूड टेरिंग लेबोरेटरी के माध्यम से मोटे पर आसपास की कॉलोनियों के नामांकित एवं व्यापारियों के खाद्य पदार्थों के नमूनों की निःशुल्क जांच की गई। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, स्पॉट एनालिस्ट अरविंद सेन, राजकुमार इंद्रायिना ने भाग लिया।

### लोकसभा आम चुनाव-2024

## सुविधा पोर्टल से अनुमति आवेदनों के निस्तारण के लिए सिंगल विंडो से होगा कार्य

(आवाज़ राजस्थान की, कार्यालय संबंधित)

अजमेर (ARK News)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम ने बताया कि चुनाव की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन की अवधि में राजनीतिक दलों तथा अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आवेदन किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचक आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। साइबर थाने के पुलिस अधिकारी के बोर्डर को इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसका लिंक मुख्य निर्वाचक अधिकारी की बोर्डर स्टॉप पर उपलब्ध है। राजनीतिक दलों एवं

## नगर पालिका, तहसील व उपकोषालय का किया निरीक्षण

(आवाज़ राजस्थान की, कार्यालय संबंधित)

अजमेर (ARK News)।

पुष्कर के तहसील कार्यालय, उपकोषालय एवं नगर पालिका का जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा गुरुवार को निरीक्षण किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने तहसील कार्यालय, उपकोषालय एवं नगर पालिका का जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा गुरुवार को निरीक्षण किया गया।



निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। समय-समय पर बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि जल्दी तथा समस्याओं पर चर्चा की जा सके। पुष्कर में थीम पार्क बनाने से संबंधित कार्य की पूरी मोनिटरिंग करे और और जर्मीन चिन्हित करें ताकि जल्द ही यह साकार रूप ले सके। और पर्यटकों को समर्पित हो सके। इस दौरान थीम पार्क बनाने के लिए आवश्यक जर्मीन का मौका मुआवना भी किया गया। उन्होंने बेस्टरा गांवों को एक जगह रखकर उनकी देखभाल करने के निर्देश दिए।

## प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे-विधानसभा अध्यक्ष नियमित रूप से व्यायाम और सूर्य नमस्कार करें विद्यार्थी-देवनानी

### रा.3.मा.वि. अजयसर में विकास कार्य का शुभारंभ

#### शिक्षक विद्यार्थियों के परिवार से मिलें उन्हें प्रगति से अवगत कराएं, सुझाव दें

(आवाज़ राजस्थान की, कार्यालय संबंधित)

अजमेर (ARK News)।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज का आधार है। स्वस्थ युवा में शिकायत शुल्क 2023 में जिला आयोग की रुपए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कुल बैठक 143 हुई। निस्तारण तक एक हजार, एक करोड़ से 2 का औसत दो तीन प्रकरण का कारण आज विश्व में भी उपभोक्ता खरीदारी कर सकता है। इसलिए अधिनियम 1986 में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई जो भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 6 करोड़ से 8 करोड़ तक 5000 रुपए, 8 करोड़ से 10 करोड़ तक 6000 रुपए, 10 करोड़ से 3000 रुपए, 4 करोड़ से सशक्तिकरण करने के लिए शुल्क 2 करोड़ से 4 करोड़ तक उपभोक्ता आयोगों को शुल्क 2 करोड़ तक 4000 रुपए, इनफास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक उपयोग के लिए एक गैर-सरकारी राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में ग्राम विद्यालय में विकास कार्यों का पंचायतों में उपभोक्ता क्लब का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा गठन कर उन्हें सशक्त कर कि राज्य सरकार स्कूलों में दूध



शैक्षणिक उत्तर पर परिवार से चर्चा करें, सुझाव दें तभी हम सुयोग नागरिकों के निर्माण में अपना समर्पण योगदान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहे कि हमारा देश, प्रांत, जिला, शहर और गांव ऐसे बनें। उन्होंने अजयसर स्कूल के क्रमोत्तर्यन के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के निर्देश दिए। शिक्षक समर्पण में करने के लिए आवश्यक जर्मीन का निर्देश दिए। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण के साथ रावत सहित कई जनप्रतिनिधि दिए। उन्होंने कहा कि भारत को बताना चाहिए कि हमारे राष्ट्र ही व्यक्तिगत रूप से भी विद्यार्थी ग्रामीण व शिक्षा विभाग के एक महान देश है। प्रधानमंत्री नायक महाराणा प्रताप पर से जुड़े। उनके घर जाएं, उनकी प्रतिनिधि उपस्थित रहें।